



## **The Bihar Medical (Amendment) Act, 2026**

Act No. 16 of 2026

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

12 श्रावण 1948 (श10)  
(सं० पटना 922) पटना, सोमवार, 3 अगस्त 2026

---

विधि विभाग

अधिसूचना

3 अगस्त 2026

सं० एल०जी०-01-17/2026-6294/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 2 अगस्त 2026 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
बासनों शंकर मेहरोत्रा,  
सरकार के विशेष सचिव।

## [बिहार अधिनियम 16, 2026]

## बिहार चिकित्सा (संशोधन) अधिनियम, 2026

बिहार एवं उड़ीसा चिकित्सा अधिनियम, 1916 (1916 के अधिनियम-2) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।  
भारत गणराज्य के सतहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:-

## 1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ।-

- (1) इस अधिनियम को बिहार चिकित्सा (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है।
- (2) यह बिहार राज्य के पूरे क्षेत्र में लागू होगा।
- (3) यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. धारा-2(c) का प्रतिस्थापन।- बिहार एवं उड़ीसा चिकित्सा अधिनियम, 1916 (जिसे इस अधिनियम में आगे मुख्य अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (c) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"(c) "पंजीकृत चिकित्सक" अभिव्यक्ति का अर्थ इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत कोई भी व्यक्ति है, और इसमें कोई भी चिकित्सा व्यवसायी शामिल है जिसका नाम राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर या भारत के किसी अन्य राज्य के राज्य चिकित्सा रजिस्टर में वैध रूप से दर्ज है, और जिसने राज्य में प्रैक्टिस के लिए स्व-प्रमाणन प्रस्तुत किया है।"

3. धारा-2(d) का अंतःस्थापन।- मूल अधिनियम की धारा 2 में उपधारा (c) के बाद निम्नलिखित उपधारा (d) अंतःस्थापित की जायेगी:-

(d) "स्व-प्रमाणन का अर्थ है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग या बिहार राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र।"

4. नई धारा-17A का अंतःस्थापन।- मूल अधिनियम की धारा 17 के बाद निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी:-

## "17A. स्व-प्रमाणीकरण प्रस्तुत करने संबंधी प्रावधान।

- (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी चिकित्सक जिसका नाम राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर या किसी अन्य राज्य चिकित्सा रजिस्टर में वैध रूप से दर्ज है, बिहार राज्य में चिकित्सा का प्रैक्टिस करने का हकदार होगा, बिना नए स्थानीय पंजीकरण या पूर्ववर्ती राज्य चिकित्सा परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता के, बशर्ते कि वह परिषद को स्व-प्रमाणन प्रस्तुत करे।
- (2) परिषद स्व-प्रमाणन के आधार पर राज्य में प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों का एक रजिस्टर बनाएगी।
- (3) परिषद को स्व-प्रमाणन मॉडल के तहत कार्यरत किसी भी चिकित्सक के पेशेवर कदाचार का दोषी पाए जाने पर बिहार राज्य में प्रैक्टिस करने के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार होगा। ऐसा निलंबन इस धारा की उपधारा (2) के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद या राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को तुरंत सूचित किया जाएगा।
- (4) इस धारा के स्व-प्रमाणन प्रावधानों के तहत राज्य में विधिवत प्रैक्टिस करने वाले किसी भी चिकित्सा व्यवसायी को इस अधिनियम की धारा 30 और धारा 31 के प्रयोजनों के लिए पंजीकृत व्यवसायी माना जाएगा।"

5. धारा-33 का संशोधन।- मूल अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (2) में, विद्यमान प्रावधान के पश्चात् निम्नलिखित प्रावधान अंतःस्थापित किया जाएगा:-

"(ड.) किसी अन्य राज्य चिकित्सा परिषद या राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा स्व-प्रमाणन प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र, प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश और प्रशासनिक तंत्र निर्धारित करने की शक्ति विशेष रूप से राज्य सरकार में निहित होगी।"

## 6. निरसन एवं व्यावृत्ति।-

- (1) बिहार चिकित्सा (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (अध्यादेश सं0-03, 2026) एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

बासनों शंकर मेहरोत्रा,  
सरकार के विशेष सचिव।

3 अगस्त 2026

सं० एल०जी०-01-17/2026-6295/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 2 अगस्त 2026 को अनुमत बिहार चिकित्सा (संशोधन) अधिनियम, 2026 (बिहार अधिनियम 16, 2026) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद माननीय बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
बासनों शंकर मेहरोत्रा,  
सरकार के विशेष सचिव ।

[Bihar Act 16, 2026]

## THE BIHAR MEDICAL (AMENDMENT) ACT, 2026

AN

ACT

*to further amend the Bihar and Orissa Medical Act, 1916 (Act 2 of 1916)*

Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in Seventy Seventh year of Republic of India as follows:-

**1. Short title, extent and commencement.—**

- (1) This Act may be called Bihar Medical (Amendment) Act, 2026.
- (2) It shall extent to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force from the date of publication in the official gazette.

**2. Substitution of Section 2(c).—**In the Bihar and Orissa Medical Act, 1916 (hereafter in this Act referred to as the principal Act), in section 2, for sub-section (c), the following shall be substituted:-

"(c) the expression "registered practitioner" means any person registered under the provisions of this Act, and includes any medical practitioner whose name is validly entered in the National Medical Register or in the State Medical Register of any other State in India, and who has submitted a self-certification for practice in the State."

**3. Insertion of section 2(d).—**In section 2 of the principal Act, after sub-section (c), the following sub-section (d) shall be inserted, which is as follows:-

(d) "**Self-certification**" means a certificate submitted by a medical practitioner registered with the National Medical Commission or any State Medical Council other than the State of Bihar, in the format as prescribed by the State Government."

**4. Insertion of a new section 17A.—**After section 17 of the principal Act, the following section shall be inserted:

**"17A. Practice on submission of self-certification.-**

- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, any medical practitioner whose name is validly entered in the National Medical Register or any other State Medical Register, shall be entitled to practice medicine in the State of Bihar without requiring fresh local registration or a No Objection Certificate (NOC) from their previous State

Medical Council, provided they submit a self-certification to the Council.

- (2) The Council shall maintain a register of medical practitioners practicing in the State on the basis of self-certification.
- (3) The Council shall have the power to suspend the right to practice within the State of Bihar for any practitioner operating under the self-certification model who is found guilty of professional misconduct. Such suspension shall be marked in the register maintained under sub-section (2) of this section and shall be immediately communicated to the concerned State Medical Council or National Medical Commission for appropriate action.
- (4) Any medical practitioner lawfully practicing in the State under the self-certification provisions of this section shall be treated as a registered practitioner for the purposes of Section 30 and Section 31 of this Act."

**5. Amendment of section 33.**—In section 33 of the principal Act, in sub-section (2), after the existing clauses, the following clause shall be inserted:-

"(e) to determine the format, procedural guidelines, and the administrative mechanism for the submission of self-certification by medical practitioners registered in any other State Medical Council or National Medical Register, the power to prescribe which shall be vested exclusively in the State Government."

**6. Repeal and Savings.**—

- (1) The Bihar Medical (Amendment) Ordinance, 2026 (Ordinance No. - 03, 2026) is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act were in force on the day on which such thing was done or action taken.

**BASNO SHANKER MEHROTRA,**  
*Special Secretary to the Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 922-571+400-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>